# चित्रकूट-पुलिस

**(1).** नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 15.12.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

**(2).** आज दिनाँक 15.12.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्योहार के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

**(3).** पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री राजकमल के पर्यवेक्षण में कोतवाली कर्वी पुलिस टीम ने जान से मारने की नियत से हमला करने के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

**अभियुक्त का नाम व पता का विवरण-**

1.अभिराज सिंह उर्फ भोलू पुत्र उदरवीर सिंह नि0 अगरहुण्डा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट

***बरामदगी-***

1. 01 अदद देशी पिस्टल
2. 02 अदद जिन्दा करातूस 32 बोर

***गिरफ्तारी का स्थान,दिनाँक,समय-***

गल्ला मण्डी बी ब्लाक कर्वी, 14.12.2024,11.45

***संक्षिप्त विवरण-***

दिनाँक 14.12.2024 को वादी मुकेश सिंह उर्फ चट्टान पुत्र राकेश सिंह नि0 लक्ष्मीपुर दबबा खण्डेहा थाना मऊ द्वारा कोतवाली कर्वी पर सूचना दी कि समय 11.30 बजे दिन में बस स्टेण्ड के पास में खड़ा था तभी अभिराज सिंह उर्फ भोलू पुत्र उदरवीर सिंह नि0 अगरहुण्डा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट दो अज्ञात व्यक्तियों के साथ मोटरसाइकिल से आया और बेवजह मुझे मारने पीटने लगे। अभिराज ने मेरे सीने पर पिस्टल डटा दी और जान से मारने की कोशिश की । दोनों अज्ञात व्यक्तियों में से एक व्यक्ति के पास तमंचा तथा एक के पास चाकू था। सूचना पर मु0अ0सं0 765/2024 धारा 109,115(2),118(1) बीएनएस पंजीकृत कर त्वरित कार्यवाही कर अभियुक्त अभिराज सिंह उर्फ भोलू उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा है।

***गिरफ्तार करने वाली कोतवाली कर्वी पुलिस टीम-***

1. चौकी प्रभारी मण्डी समिति उ0नि0 श्री श्यामदेव सिंह
2. आरक्षी कुलदीप द्विवेदी

**(4).** अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन,प्रयागराज के आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में आज दिनांक 15.12.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी द्वारा क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री जय करन सिंह की उपस्थिति में रिजर्व पुलिस लाइन चित्रकूट के कान्हा सभागार में जनपद में नियुक्त रिजर्व पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण को महाकुंभ 2025 को सकुशल एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने हेतु नामित पुलिस कर्मियों को साफ्ट स्किल का प्रशिक्षण दिया गया । महोदय द्वारा रिजर्व किये गये कर्मियों को मेला ड्यूटी में क्या करें क्या न करें।,मेले के दौरान पुलिस कर्मचारियों का श्रद्धालुओं संग आचरण व संवाद, महिलाओं,बच्चों व वृद्ध श्रद्धालुओं के संग आचरण व संवाद, विदेशियों एवं अन्य भाषी तीर्थयात्रियों से आचरण व संवाद, मीडिया कर्मियों/पत्रकारों से संवाद,मेले के दौरान आये हुए साधु-संतो के संग आचरण व संवाद,तनाव प्रबन्धन,जेंडर सेन्सटाईजेशन,मेले के दौरान विषम परिस्थितियों से शान्तिपूर्ण तरीके से निपटने के लिए आवश्यक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में प्रशिक्षित किया गया। महोदय द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पुलिस कर्मियों से बिन्दूवार सभी बिन्दू को समझाकर बताया गया तथा महाकुंभ का सम्पन्न कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

इस दौरान प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण व रिजर्व में नामित समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहें।

**(5).** पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में बढ़ते साइबर अपराध की रोकथाम हेतु अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली कर्वी पुलिस टीम ने व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग से अश्लील वीडियों बनाकर ब्लैक मेल कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोपी वाँछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-**

1.शहजाद अहमद पुत्र नूर मुहम्मद निवासी ग्राम खिल्लुका थाना हथीन जनपद पलवल राज्य हरियाणा

**गिरफ्तारी का स्थान व समयः-**

स्टेशन रोड शराब ठेका के पास,15.12.2024,10.20 बजे

**संक्षिप्त विवरणः-**

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 14.10.2024 को वादी गंगा प्रसाद पुत्र रामदास निवासी स्टेशन रोड गांधीगंज कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा कोतवाली कर्वी पर सूचना दी गयी कि दिनाँक 11.10.2024 को मेरे भाई मृतक राकेश केशरवानी के मोबाइल नम्बर 9450225055 पर कई बार फोन आया तथा उस नम्बर पर अश्लील वीडियों बनाकर मोबाइल भेजकर लगातार पैसे की मांग की मैसेज के द्वारा की जा रही थी। जिससे मेरे भाई मृतक राकेश केशरवानी द्वारा 61500/- रूपये ब्लैकमेलर के फोन पे0नं0 8234004754 पर भेजा गया । भेजने के बावजूद भी खुद को पुलिस अधिकारी बताकर बार बार ब्लैकमेल किया गया, जिससे आहत होकर मेरे भाई ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली । इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 639/2024 धारा 108,318(4) बीएनएस व 67 आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया। पूर्व में मुकदमें से सम्बन्धित अभियुक्त सरफराज खान पुत्र अबरार निवासी अकाता थाना कामा जिला डींग राजस्थान को जेल भेजा जा चुका है। आज दिनाँक 15.12.2024 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वाँछित अभियुक्त शहजाद उपरोक्त को कोतवाली कर्वी पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया।

**गिरफ्तार करने वाली टीम-**

1.अपराध निरीक्षक कोतवाली कर्वी निरीक्षक श्री लाखन सिंह

2.उ0नि0 अंशुल कुमार

3.मुख्य आरक्षी साकिर हुसैन

**(6).** पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 06 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

(i). उ0नि0 श्री किशन कुमार थाना कोतवाली कर्वी, उ0नि0 श्री गौरव तिवारी व उनके हमराही आरक्षी प्रशान्त द्वारा अ0सं0 246/019 धारा 504,506 भादवि0 व 3(1)ध एससीएसटी एक्ट के वारण्टी अभियुक्त बृजकिशोर उर्फ पहरुआ पुत्र हरिश्चन्द त्रिवेदी नि0 पुरवा तरौहा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(ii). उ0नि0 शिवपूजन सरोज थाना मऊ, उ0नि0 श्री उत्कर्ष सिंह व उनके हमराही आरक्षी चालक प्रवीण पाण्डेय द्वारा मु0अ0सं0 62/2024 धारा 354,504,506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त बबलू केवट पुत्र रामआधार केवट नि0 कटैयाखादर थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(iii). उ0नि0 श्री रामअधार सिंह चौकी प्रभारी सरैया मय हमराह मुख्य आरक्षी संदीप देव व आरक्षी विनोद यादव वारण्टी अरुण सिंह उर्फ मन्टू सिंह पुत्र संतोष सिंह निवासी मानिकपुर थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट व वारण्टी धनश्याम नारायण पुत्र मातादीन निवासी गढ़चपा थाना मानिकपुर को गिरफ्तार किया गया।

(iv) उ0नि0 श्री राजेश कुमार राय थाना सरधुवा मय हमराह आरक्षी शक्ति सिंह व सालिग राम द्वारा मु0नं0 130/2014 धारा 452,447,323,504,506 भादविद के वारण्टी अभियुक्त अभिनन्दन सिंह पुत्र स्व0 कल्लू निवासी भदेदू थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को  गिरफ्तार किया गया।
(v) उ0नि0 श्री राहुल पाण्डेय थाना भरतकूप द्वारा मु0नं0 385/22 धारा  138 विद्युत अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त लाखन सिंह पुत्र चुनकावन निवासी बीहर पहरा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट

**(7).** पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुतोष तिवारी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री शिवमणि मिश्रा मय हमराह आरक्षी शक्ति सिंह द्वारा अभियुक्त सूरज वर्मा पुत्र रामफल निवासी ग्राम अमलोखर थाना कमासिन जनपद बांदा को 13 अदद गोल्ड ब्राण्ड देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरधुवा पर धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

**(8).** माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चित्रकूट के आदेश दिनाँक 15.12.2024 के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल, सहायक अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह, वरिष्ठ लिपिक श्री रामप्रकाश, जिला आबकारी अधिकारी श्री अखिलेन्द्र बहादूर सिंह ,आबकारी निरीक्षक सदर श्री रविशंकर गुप्ता, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं प्रधान लेखक बृजेन्द्र यादव थाना कोतवाली कर्वी व प्रधान लेखक चौकी सीतापुर श्री विमलेन्द्र की उपस्थित में थाना कोतवाली कर्वी परिसर में गढ्ढा खोदकर कोतवाली कर्वी के 377 मुकदमें व चौकी सीतापुर के 202 मुकदमों के आबकारी अधिनियम के पंचनामा मॉल का समिति के समक्ष नष्ट कराकर आग लगाकर विनिष्टकरण कराया गया।